

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

दिनांक 04/07/2022

क्रमांक एफ 06-03/2022/अ-73 राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि -

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 75 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27, 29, 30, 30- क एवं धारा 33 के अंतर्गत संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश को प्रदत्त शक्तियां, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा निजी निवेशकों द्वारा विकसित/विकासाधीन एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों में समस्त स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश को प्रत्यायोजित की जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(शशि भूषण सिंह)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

//2//

पृ. क्रमांक एफ 06-03/2022/अ-73

भोपाल दिनांक 08/07/2022

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. ✓ उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. आयुक्त जनसम्पर्क मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।



[Handwritten Signature]

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

[Handwritten Mark]